प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 20.09.2024

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 19.09.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादिया द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमे अभियुक्त द्वारा वादिया की पुत्री के साथ बहला-फुसलाकर शादी करने का झाँसा देकर शारीरिक संबंध बनाकर गर्भवती कर देना व गर्भवती होने पर डॉक्टर से गर्भ की साफ-सफाई करा देने सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। जिसके सम्बन्ध में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 19.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त गौरव कुमार शर्मा पुत्र सुशील कुमार शर्मा नि0 हाल पता प्रगति विहार पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद स्थायी पता- ग्राम जैथरा थाना जैथरा जिला एटा उ0प्र0, उम्र 20 वर्ष को उसके घर प्रगति विहार पावी सादकपुर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मेरे पडोस में रहने वाली उक्त लड़की से मेरी जान-पहचान हो गई थी, दिनांक 16.07.2024 को शाम के समय करीब 5.30 बजे मौका पाकर मैने शादी की बात कहकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे व प्रेग्नेंट होने पर डॉक्टर की मदद से उसके गर्भ की साफ-सफाई करवा दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

अभि0 गौरव कुमार शर्मा पुत्र सुशील कुमार शर्मा नि0 हाल पता प्रगति विहार पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद स्थायी पता- ग्राम जैथरा थाना जैथरा जिला एटा, उम्र 20 वर्ष

अपराधिक इतिहास

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना ट्रोनिका पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा पानी की टंकियों पर लगे सोलर प्लांट से सोलर प्लेट व इन्वर्टर, बैट्रा चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया 01 इन्वर्टर, बैट्रा व चोरी से सम्बन्धित 2000/- रुपये बरामद ।

दिनांक 11.09.2024 को थाना निवाडी पर वादी श्री लवकुश पुत्र रोहताश निवासी ग्राम आरडी 272 गंगाबिहार गोकुलपुरी दिल्ली ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि अज्ञात चोरों ने ग्राम भनैडा स्थित पानी की टंकी से 29 प्लैट सोलर पैनल तथा एक बैट्रा व इन्वर्टर चोरी कर लिया गया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना निवाडी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया तथा घटना का अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी करने हेतु टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटैज, सर्विलांस व मैनुअल इन्पुट के माध्यम से अज्ञात चोरो की पहचान कर उक्त घटना का सफल अनावरण कर दिनांक 19.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर चोरी करने वाले एक शातिर चोर अभियुक्त सावेज पुत्र हारून निवासी सरना कुटी थाना मुरादनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी

का 01 इन्वर्टर, 01 बैट्रा व चोरी से सम्बन्धित 2000/- रुपये बरामद हुए। अभियुक्त के अन्य साथियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है, आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैने अपने भाई शोएब व सुहैल के साथ मिलकर करीब 03-04 महीने पहले ग्राम भनैडा के जगंल में लगी पानी की टंकी से 01 इन्वर्टर, 01 बैट्रा व सोलर पैनल पर लगी प्लेट को चोरी किया था व हम तीनो ने मिलकर फिर से ग्राम अमराला (थाना भोजपुर) के जंगल मे लगी पानी की टंकी से सोलर प्लैट चुराई थी। हम जो भी सामान चोरी करते है, उस सामान को लोनी के रहने वाले हारून नाम के कबाडी को बेच देते है। हमें सोलर प्लेट बेचकर जो पैसे मिले थे उन्हे आपस में बांट लिया था, ये 2000/- रुपये उन्ही में से बचे हुए है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

सावेज पुत्र हारून नि0 सरना कुटी थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष

नाम व पता फरार अभियुक्त-

1. शोएब पुत्र हारून नि0 सरना कुटी थाना मुरादनगर गाजियाबाद,
2. सुहेल पुत्र हारून नि0 सरना कुटी थाना मुरादनगर गाजियाबाद,
3. चोरी का सामान खरीदने वाला कबाडी हारुन निवासी लोनी गाजियाबाद,

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर चोरी/बरामदगी, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट के 04 अभियोग व थाना निवाडी पर चोरी/ बरामदगी का 01 अभियोग व थाना भोजपुर पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

चोरी का 01 इन्वर्टर, 01 बैट्रा व चोरी से सम्बन्धित 2000/- रुपये,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का 72 घण्टे में सफल अनावरण करते हुये हत्या करने वाला शातिर बदमाश गुलफाम व सह-अभियुक्ता शहनाज को गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल लकडी का डण्डा, मृतक राशिद का मोबाइल फोन तथा अभि0 द्वारा घटना कारित करते समय पहने कपडे जिस पर मृतक का खून लगा हुआ बरामद किया गया।

दिनांक 17.09.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद पर वादिया द्वारा दिये गये लिखित प्रार्थना-पत्र जिसमें अभियुक्तगण द्वारा वादिया के पति राशिद की हत्या कर शव खेत में फेंक देना व अभियुक्ता द्वारा धमकी देने के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्तो की गिरफ्तारी घटना के अनावरण हेतु थाना स्तर से तीन टीमों का गठन किया गया।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस टीम की मदद से 72 घण्टे में उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले मुख्य आरोपी गुलफाम व सह-अभियुक्ता शहनाज को मुखबिर की सूचना पर अखाडा मंदिर चौराहा के पास से आज दिनांक 20.09.2024 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गुलफाम की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल लकडी का डण्डा व मृतक राशिद का मोबाइल फोन बदरपुर गाँव के बाहर सडक किनारे हारून के

धान के खेत से बरामद किया गया तथा अभियुक्ता शहनाज की निशादेही से घटना के समय अभियुक्त गुलफाम का लोवर व टी-शर्ट उसके घर के पीछे खाली पडी जगह गढ्ढे से बरामद किये गये जिस पर मृतक का खून लगा हुआ।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

अभि0 गुलफाम ने बताया कि मैं मुजफ्फरनगर से कवाल काण्ड के दंगे/मर्डर के केस मे जेल गया था। 11 साल तक जेल मे रहा था, जेल से दिनांक 05.08.2024 को छूटा था । जेल में मेरी मुलाकात बदरपुर गाजियाबाद में रहने वाले महताब से हुई थी । महताब भी तीन साल से जेल मे बंद था । मेरी महताब से आपस मे काफी घनिष्ठता हो गयी थी । महताब ने मुझे अपना मुंह बोला बेटा बना लिया था । महताब की पत्नी व अन्य घर वाले जब भी जेल मे मिलाई करने के लिए आते थे तो मुझसे भी मिलाई करते थे । शहनाज व उसके पति महताब ने मेरी जेल से रिहा होने की जमानत करायी थी। मैं पिछले महीने मुजफ्फरनगर जेल से रिहा हुआ था और महताब के घर करीब एक माह तक रहा था । महताब व शहनाज ने मुझे अपने गाँव सिखेडा भेज दिया था । महताब व शहनाज ने मुझको बताया था कि राशिद से हमारा मोबाईल फोन को लेकर विवाद हुआ था । इसी बात से नाराज होकर उसका बेटा दिनांक 13.09.24 को अपने घर से चला गया था और वापस नहीं आया है । राशिद हम लोगो को धमकी दे रहा है कि अगर मेरा बेटा वापस नहीं आया तो तुम्हे जेल भिजवा दुंगा तब मैंने ने कहा था कि आप परेशान मत हो, मैं आ रहा हूं सारा इंतजाम हो जायेगा। दिनांक 16.09.2024 को सिखेडा से ग्राम बदरपुर महताब के घर आ गया था । घर पर इन लोगों ने पूरी बात बताई थी कि अगर राशिद का लडका नहीं मिला तो राशिद हम सबको जेल भिजवा देगा इसलिए राशिद को रास्ते से हटाना ही हमारे लिए ठीक रहेगा । कुछ देर बाद करीब एक डेढ बजे के बीच मृतक राशिद अपने हाथ मे डंडा लिये अपने बेटे की तलाश करता हुआ महताब के मकान के पीछे से निकलकर जा रहा था तो जावेद, गुलफाम, सुहैल ने मिलकर मृतक राशिद का मुँह भीचकर महताब के मकान के पीछे वाली जगह ले गये और राशिद से उसके डंडा छीनकर उसके मुँह व सिर पर जमकर मारपीट की गयी जिससे उसकी मौके पर मौत हो गयी और हमने राशिद की पहचान छिपाने के लिए राशिद के ही डंडे व धारधार हथियार से उसके मुंह पर वार किये और उसके शव को छिपाने के उद्देश्य से वहाँ से मैनें अपने कंधे पर उठा लिया था । मेरे साथ सुहैल, जावेद भी आये थे। हमने राशिद के शव को गांव के बराबर में हारुन के धान के खेत मे फैक दिया था। मेरा लोवर व काली टी शर्ट मिटटी व खून मे सन गयी थी। राशिद की जेब से मिले मोबाईल फोन को वही पास में मिटटी के नीचे दबा दिया था और राशिद के डंडे को वही पास में खडी झाडियों में छिपा दिया था और हम लोग वापस घर आये गये । जब मेरा लोवर व टी शर्ट मिटटी व खून में सनी हुई थी तो शहनाज ने मुझसे कहा था कि गुलफाम इन कपडो को बदल लो तो मैने अपने लोवर व टी शर्ट बदल लिये थे और दूसरे कपडे शहनाज ने पहनने के लिए दिये थे। मेरी टी शर्ट व लोवर के बारे में शहनवाज को ही जानकारी है। जब सुबह को मौहल्ले मे चर्चा होने लगी कि गुलफाम ,सुहैल ,जावेद के घर वालो ने रात मे राशिद की हत्या करके उसके शव को हारुन के खेत मे फैक दिया है इस घटना में शहनाज की भी हाथ है और हम लोग पकडे जाने के डर से इधर उधर हो गये थे और आज मुजफ्फरनगर भागने की फिराक में सवारी का इंतजार कर रहे थे कि आपने पकड लिया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता</u>

1.गुलफाम पुत्र लतीफ निवासी लाटर देवा थाना धनरेडा जिला हरिद्वार हाल किरायेदार मकान प्रवेज पुत्र कल्लू खान निवासी बिलाल मस्जिद कस्बा व थाना सिखेडा जिला मुजफ्फरनगर, उम्र 35 वर्ष
2.शहनाज पत्नी महताब निवासी ग्राम बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 40 वर्ष

<u>अपराधिक इतिहास</u>

मु0अ0सं0 449/24 धारा 191(2)/103/351(2) बीएनएस थाना ट्रोनिका सिटी
मु0अ0सं0 847/14 धारा 302/394/411 भादवि थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर

<u>बरामदगी का विवरण</u>

1.आला कत्ल लकडी का डण्डा जिस पर मृतक का खून लगा
2.अभि0 द्वारा घटना कारित करते समय पहने कपडे जिस पर मृतक का खून लगा
3.मृतक राशिद का मोबाइल फोन

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम</u>
थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.09.2024 को थाना वेव सिटी पर वादिया की प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त मौलवी अब्दुल रहमान नि0 मसूरी गाजियाबाद हाल पता- जाकिर कालोनी थाना धौलाना जनपद हापुड़ द्वारा वादिया के पति (जिसकी दिमागी हालत ठीक नही है) का दिमाग वशीकरण कर धर्मपरिवर्तन कराने का प्रयास करना तथा अन्य अभियुक्तगण द्वारा एक साथ मिलकर षड़यन्त्र करके धोखाधडी कर गमिंग फंड के बारे में आमदनी के रुप में कमीशन मिलने का झांसा देकर वादिया के पति की कम्पनी के बैक एकाउन्ट में रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नम्बर की जानकारी कर वादिया के पति के एकाउन्ट में रूपये क्रेडिट होना तथा वादिया के पति को बिना किसी जानकारी के उपरोक्त रूपये एकाउन्ट से निकाल लेना तथा वादिया के पति की कार को बेचकर मिले रूपयों को पेटीएम के माध्यम से अभियुक्तगण द्वारा अपने एकाउन्ट में रूपये ले लेने के सम्बन्ध में थाना वेवसिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर से दो टीमें गठित की गई। तत्पश्चात थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट की मदद से अभियुक्त मौलवी अब्दुल रहमान पुत्र हनीफ नि0 ग्राम नीमखेडा थाना कोतवाली देहात जिला बुलन्दशहर हाल पता- जाकिर कालोनी पिपलेड़ा थाना धौलाना जनपद हापुड को आज दिनांक 20.09.2024 को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>
अभियुक्त मौलवी अब्दुल रहमान उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं झाडफूक तथा देशी दवा देने का काम करता हूँ। इस तरह से किसी व्यक्ति को अपने झांसे मे लेकर धर्म बदलवाने व रूपये ऐठनें की फिराक में था। मेरे पास श्रीष ओझा अपनी पत्नी व अपने इलाज के लिए आये थे। श्रीष ओझा एक इंजीनियरिंग कन्सटेन्सी फर्म SS एसोसिएट का मालिक है जो कि मकानों तथा बिल्डिंगो के नक्शा बनवाने का काम करते हैं तथा जिसकी पत्नी की किडनी खराब होने के कारण डायलसिस चल रही है और उसे कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए श्रीष ओझा परेशान एवं तनावग्रस्त रहता है तथा मानसिक रुप से परेशान है। जिसका फायदा उठाकर मैनें उसे अपने विश्वास में लेकर धर्म परिवर्तन करने के लिए उत्प्रेरित किया तथा झांडफूक करने के लिए बताया कि इससे आपकी पत्नी स्वस्थ हो जायेगी। पिछले 4-5 महीने में लगभग 7 लाख रुपये झाड़फूक के नाम पर श्रीष ओझा से हड़प लिये थे जो मैने खर्च कर लिये और भी पैसों के लिए इस व्यक्ति का मकान बिकवाने के लिए प्रेरित कर रहा था। जिससे मुझे और पैसे मिल जायें इसीलिए इस व्यक्ति को इसकी पत्नी को चरित्रहीन बताकर पत्नी एवं बच्चों से अलग कराकर इसका धर्म परिवर्तन कराना व इस्लाम कबूल कराकर दूसरा निकाह कराने के लिए भ्रमित कर रहा था और मुझे इस तरह का ये व्यक्ति मिल गया और मैंने इस व्यक्ति के दिमाग को अपने वशीकरण में कर एवं भिन्न भिन्न बातो के झांसो मे लेकर इस व्यक्ति का धर्म बदलवाने का प्रयास कर रहा था। तभी इस व्यक्ति की पत्नी को यह सब पता चल गया और बाद में मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-</u>
मौलवी अब्दुल रहमान पुत्र हनीफ नि0 ग्राम नीमखेडा थाना कोतवाली देहात जिला बुलन्दशहर हाल पता- जाकिर कालोनी थाना धौलाना जनपद हापुड, उम्र 58 वर्ष

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>
थाना वेव सिटी पुलिस टीम

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उड़ीसा से एनसीआर क्षेत्र में गाँजे की तस्करी/बिक्री करने वाला 01 शातिर अन्तर्राज्यीय गाँजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से करीब 55 लाख रू0 कीमत का 106 किलो 216 ग्राम नाजायज गांजा व तस्करी में प्रयुक्त आईसर कैण्टर गाडी बरामद

दिनांक-19/09/2024 को क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 01 अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर को मननधाम रेलवे फाटक के पास थाना मधुबन बापूधाम जाने वाले रास्ते पर थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। गिरफ्तार गाँजा तस्कर उड़ीसा राज्य से कैण्टर वाहन मे गांजा छिपाकर दिल्ली, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश सप्लाई करने के लिए तस्करी करके ला रहा था जिसके कब्जे से कुल 106 किलो 216 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 55 लाख रू0 है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ बब्लू ने बताया कि वह 10वीं तक पढा है उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब थी इसीलिए पढाई छोडकर उसने ड्राईविंग का काम सीख लिया और ट्रक व आईसर कैन्टर की ड्राईवरी करने लगा जिससे वह अपना घर चलाता था। वह फिरोजाबाद से काँच के सामान लेकर उडीसा सप्लाई करता था परन्तु इस गाडी ड्राईविंग के काम में उसे ज्यादा फायदा नहीं होता था इसी बीच वह रवि वर्मा निवासी भौगाँव जनपद-मैनपुरी के सम्पर्क मे आया जो उडीसा राज्य से गाँजा तस्करी करने व करवाने का काम करता है रवि वर्मा से उसकी मुलाकात उडीसा में ही हुई थी रवि वर्मा ने वीरेन्द्र को बताया कि उडीसा राज्य से गाँजे की तस्करी करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली एन0सी0आर0, पंजाब व हरियाणा में सप्लाई करने में काफी फायदा होता है तो वह भी रवि वर्मा के साथ मिलकर उडीसा से गाँजा तस्करी का काम करने लगा। गाँजा तस्करी के लिए पैसे व गाडी रवि वर्मा उपलब्ध कराता था। उडीसा राज्य से गाँजे की तस्करी करके लाने पर उसे रवि वर्मा से प्रत्येक चक्कर के 500 रू0 प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलते है। रवि वर्मा के साथ मिलकर वीरेन्द्र उर्फ बब्लू उपरोक्त मादक पदार्थो की तस्करी के अपराध में संलिप्त हो गया और माँग के अनुसार गाँजे की सप्लाई करने लगा। अभियुक्त ने पूछताछ पर यह भी बताया कि वह कैन्टर गाडी में उडीसा से गांजा लोड करके उसके ऊपर कबाड, झाड़ू, सब्जियों की क्रेट आदि लादकर चलता हैं। उडीसा से गाँजा लोड करके चलने से पहले ये लोग आपस मे तय कर लेते है कि माल कहाँ पर व किस दिन उतारना है तथा अपना फोन वहीं पर बन्द कर लेते हैं और किसी से भी कोई सम्पर्क नहीं करते हैं, जब तक कि तस्करी कर लाये हुए गाँजे को उसके तयशुदा जगह पर ना पहुँचा दें। गिरफ्तार अभियुक्त गाँजा तस्करी का काम पिछले करीब 02 वर्षो से कर रहा है। गाँजा तस्करी के काम में कई गुना फायदा होता है जिससे यह अपने घर के खर्चे व अपने शौक पूरा करता है।

अभियुक्त से पूछताछ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश व एन0सी0आर0 क्षेत्र मे गाँजे का क्रय-विक्रय करने वालो के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई है जिसके आधार पर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमें बनाकर दबिशें दी जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

वीरेन्द्र उर्फ बब्लू पुत्र सुमेर सिह निवासी ग्राम पारोली थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद उम्र करीब 36 वर्ष

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण –

1.गांजा नाजायज - 106 किलो 216 ग्राम कीमत करीब 55 लख रूपये

2.तस्करी मे प्रयुक्त कैन्टर रजिस्ट्रेशन न0-UP 83 CT 6265

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त वीरेन्द्र के विरूद्ध गाजियाबाद मे 01 अभियोग मादक पदार्थो की तस्करी के सम्बन्ध में पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना मधुबन बापूधाम टीम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना लोनी पुलिस द्वारा धोखाधडी के अभियोग में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 13.01.2024 को वादिया द्वारा धोखाधडी कर गाडी बेचने के नाम पर पैसे ले लेना व बाद में ना पैसा देना व ना गाडी देना व रुपये माँगने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में तहरीर प्राप्त हुयी। तहरीर

के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी। आज दिनांक 20.09.2024 को थाना लोनी पुलिस द्वारा अभियुक्ता सागिरा पत्नी फरहान हसन नि0 डावर तलाब केला गोदाम वाली गली थाना अकुर विहार गा0बाद उम्र करीब 34 वर्ष को चौकी क्षेत्र कस्बा से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्ता द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ गाडी बेचने के नाम पर पैसे लेना तथा बाद में ना गाडी देना व ना पैसा वापस करना व रुपये पर माँगने पर जान से मारने की धमकी दिये जाने सम्बन्धी अपराध कारित किया गया है। जो लगातार अपनी गिरफ्तारी से बच रही थी। मा0 न्यायालय द्वारा जारी किये गये वारण्ट के क्रम में उपरोक्त महिला अभियुक्ता को आज दिनांक 20.09.2024 को लोनी पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>आपराधिक इतिहास</u>

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्ता</u>

सागिरा पत्नी फरहान हसन नि0 डावर तलाब केला गोदाम वाली गली थाना अंकुर विहार गा0बाद, उम्र करीब 34 वर्ष

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः</u>

थाना लोनी पुलिस टीम